

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या.- 197/2026**

मास्टर कुशाग्र शुक्ला, प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती अंकिता शुक्ला उर्फ अंकिता पाण्डेय के माध्यम से एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
त्रिपाठी

:- तरुषि गोयल, पीयूष मणि

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुमान त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका प्रार्थना-खंड में उल्लिखित अनुतोष के लिए प्रस्तुत की गई है। याचिका का प्रार्थना-खंड निम्नवत् है:-

“अतः, अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय निम्नवत् अनुतोष प्रदान करे :

(क) बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अथवा बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति की कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विपक्षीगण को यह निर्देशित किया जाए कि वे अविलंब नाबालिग याचिकाकर्ताओं, अर्थात् 1. मास्टर कुशाग्र शुक्ला (आयु लगभग 6 वर्ष) तथा 2. कुमारी जानवी शुक्ला (आयु लगभग 4 वर्ष) को इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें तत्काल स्वतंत्र किया जा सके तथा विरोधी पक्षकार संख्या-3 से 5 की अभिरक्षा से मुक्त किया जा सके।

(ख) बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अथवा बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति की कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकार संख्या-3 से 5 को यह निर्देशित किया जाए कि वे नाबालिग याचिकाकर्ताओं की अभिरक्षा याचिकाकर्ताओं की माता/श्रीमती अंकिता शुक्ला को सौंप दें।

(ग) ऐसा आदेश पारित किया जाए जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया जाए, ताकि उनके कल्याण, हित एवं इच्छा का आकलन किया जा सके तथा यह माननीय न्यायालय जैसा उचित समझे, ऐसे अन्य आवश्यक निर्देश भी पारित कर सके।

(घ) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश अथवा निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायोचित एवं आवश्यक समझे, जारी करे; तथा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ड) रिट याचिका को वाद-व्यय सहित स्वीकृत किया जाए।”

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि इस स्तर पर वे इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तथा वे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत एक आवेदन, अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अंतरिम अनुतोष हेतु अंतरिम आवेदन तथा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत अभिरक्षा संबंधी आदेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। सुविधा हेतु, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धाराएँ 12, 21 एवं 23 निम्नवत् दी जा रही हैं :

“12. मजिस्ट्रेट को आवेदन- (1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त, किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है:

परन्तु जहां किसी न्यायालय द्वारा, प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में गहोई डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की गई है या संदेय है तो ऐसी डिब्री के अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिब्री, इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात् अतिशेष रकम के लिए, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं या यथासंभव उसके निकटतम रूप में अंतर्विष्ट होगा।

(4) मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः तीन दिन से अधिक नहीं होगी।

(5) मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा।

21. अभिरक्षा आदेश- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी संतान या संतानों से भेंट के इंतजाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा:

परन्तु, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यर्थी की कोई भेंट संतान या संतानों के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट करने को अनुज्ञात करने से इन्कार करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

23. अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति- (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, ऐसा अंतरिम आदेश, जो न्यायसंगत और उपयुक्त हो, पारित कर सकेगा।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या उसने किया है, या यह संभावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह व्यथित व्यक्ति के ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, शपथपत्र के आधार पर, यथास्थिति, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 22 के अधीन प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दे सकेगा।”

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि वे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष जाकर अपने उपचार का लाभ उठाएंगे, अतः उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना स्वीकृत की जाती है। रिट याचिका को वापस ली गई मानते हुए निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

जून 2, 2026

मनीष हिमवन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।